हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 8/1/21 को पेश हो ।	
5/1/21 पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 16/2/21 को पेश हो ।	
16/2/21 पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 15/3/21 को पेश हो ।	
08 12/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प गोलिया जैतमाल पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया तथा मौके की जानकारी ली गई। ~~क्योंकि~~ मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसका निस्तारण मूल वाद से ही होगा। वर्तमान में विपक्षीगण को स्थगन से पाबन्द रखा जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है। ~~विपक्षीगण को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त~~ अतः प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर [illegible] के साथ नत्थी हो। [illegible]	
सहायक कलक्टर SDO (गुडामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested

Reader check & Report 2/11/06

।। श्री ।।

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थी :–

1. रामा वल्द जीया उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी मीठी बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

1. रायमलराम पुत्र लिखमाराम उम्र
2. चूनाराम पुत्र लिखमाराम उम्र
3. भूराराम पुत्र लिखमाराम उम्र
4. मदरूपाराम पुत्र लिखमाराम उम्र
5. लिखमाराम पुत्र पोकराराम उम्र जाति जाट निवासी मीठी बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
6. तहसीलदार, गुड़ामालानी।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

महोदयजी,

प्रार्थी आवेदन पत्र निम्नानुसार हैं :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested

(अधिवक्ता प्रार्थी)

रामाराम

1. कि प्रार्थी ने एक राजस्व बाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

2. कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी के ग्राम मींठी बेरी के खसरा नम्बर 33 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी सोयम का आई हुई है।

3. कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारों तरफ बाड़ कर खेत के अन्दर रवासी ढाणी व कृषि कुआं भी बना हुआ है।

4. कि प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा मीठी बेरी की सीमा के पास आई हुई है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि भी ग्राम मीठी बेरी में सरहद मौजा भीलो का गोल, मालपुरा के बीच आयी हुई है प्रार्थी के खेत के आगे सरहद मौजा भीलो का गोल (मालपुरा) आया हुआ है मालपुरा व मीठी बेरी ग्रामों की सीमा आपस में ओवरलिपिंग हैं प्रार्थी वक्त सैंटलमेंट से अपने रकबे पर काबीज होकर निर्बाज रूप से काश्त करता आ रहा हैं।

5. कि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 जो राजनैतिक पहुंचवाले व प्रभावशाली व्यक्ति है, जो **प्रार्थी** की भूमि को हड़पने हेतु प्रयासरत है, विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को सरहद मौजा मालपुरा की सीमा में आगे बताकर नेखमबन्दी की आड़ में प्रार्थी की भूमि पर काबिज होने पर उतारू रहते है। प्रार्थी की भूमि पर काबिज होने का विप्रार्थीगण कोई अधिकार नहीं है उनके इस शोषण से संरक्षण हेतु प्रार्थी को माननीय न्यायालय की चरण में आने की आवश्यकता हुई।

6. कि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 अगर अपने अनाधिकृत कब्जा करने की मंशा पर अड़े रहकर कब्जा कर लिया तो न केवल प्रार्थी के दावे का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा, अपितु उससे प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी।

7. कि समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested